न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 378/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–चूनाराम पुत्र भानाराम जाति छीपा निवासी छीपो की ढाणी, तहसील शिव जिला बाडमेर 2– श्रीमती गंगादेवी पत्नी गोमाराम 3– हीरा पुत्र गोमाराम 4– पूरा पुत्र गोमाराम 5– खेता पुत्र गोमाराम 6– खेराज पुत्र उदाराम 7– मोटा पुत्र उदाराम सभी जाति जाट निवासी गांव बलाऊ तहसील शिव जिला बाडमेर 8– रामाराम पुत्र आम्बाराम उर्फ अखाराम 9– धर्माराम पुत्र आम्बाराम उर्फ अखाराम 10–चूनाराम पुत्र आम्बाराम उर्फ अखाराम 11–सुरेन्द्रसिह पुत्र आम्बाराम उर्फ अखाराम 12–श्रीमती धूडीदेवी पत्नी आम्बाराम उर्फ अखाराम सभी जाति जाट निवासी बूथ जेतमाल तहसील व जिला बाडमेर 13–बाबूराम पुत्र सोनाराम 14–श्रीमती चंदणी पत्नी चेनाराम 15–बांकाराम पुत्र चेनाराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती चंदणी) सभी जाति जाट निवासी गांव रामपुरा तहसील शिव जिला बाडमेर 16–मुरीद पुत्र साबुदीन 17–गाजी पुत्र साबुदीन 18–धाधा पुत्र साबुदीन 19–मंसूर पुत्र साबुदीन 20–आचार पुत्र साबुदीन 21–सोढी पत्नी साबुदीन सभी जाति मुसलमान निवासी गांव रामपुरा तहसील शिव, जिला बाडमेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा पारित आदेश कमांक/राजस्व/2017/42 दिनांक 1–1–2017 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री एम0एल0खत्री अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 1–2–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 तहसीलदार शिव की ओर से राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे रास्तो की समस्याओ के समाधान हेतु चलाये गये रास्ता अभियान जिसमे मौके का सर्वे करवाकर मौके पर चालू रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अंकन

करवाने हेतु राजस्व ग्राम रामपुरा तहसील शिव के खसरा नंबर 457, 530/456, 570/475, 475, 569/475, 574/476, 577/477, 624/477, 568/475 कुल 9 खसरान की भूमि मे चल रहे कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करवाने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष प्रेषित किया गया । उक्त खसरा नंबरान मे से अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि भी शामिल है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार शिव द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप प्रस्तावित खसरा नंबरान एवं उनके आगे अंकित रकबे की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज के रूप मे दर्ज करने के आदेश दिनांक 1–1–2017 को पारित करते हुए राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे अंकन करने के आदेश तहसीलदार शिव को पारित किये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही खातेदारान की खातेदारी की भूमि मे से सीधे रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान नही किया गया इसलिए अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत एवं धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्यायिक परिभाषा मे नही आता है क्योकि बिना खातेदारो की सहमति के उनके खातेदारी की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता मे दर्ज नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अवैद्यानिक होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–1–2017 को अपास्त कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारो की उपस्थिति मे रास्तो का मौका निरीक्षण कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार शिव ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्ते जो मौके पर चालू है तथा आमजन के

उपयोग मे आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर, रास्ते के रूप मे उपयोग मे आ रही भूमि पटवार मण्डल रामपुरा तहसील शिव के 9 खसरो की प्रस्तावित भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय मे उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष प्रेषित किया जाने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1-1-2017 का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलाधीन आदेश पारित करने के संबंध मे अपनाई की प्रक्रिया आदि का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि तहसीलदार शिव ने ग्राम रामपुरा पटवार मण्डल कोटडा के अपील मे वर्णित कुल 9 खसरान मे से निजी खातेदारो की भूमि मे चल रहे चालू रास्ते जो आवागमन के काम आ रहे है परंतु अभी तक खातेदारो की खातेदारी मे चली आ रही है, उनका राज्य सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10-8-2016 के अनुसरण मे राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने का प्रस्ताव प्रेषित किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव ने तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मे वर्णित रकबे की भूमि का राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये ।

अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर किसी भी खातेदार को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना सीधे ही उनके खातेदारी मे से प्रस्तावित रकबा कम करते हुए गै0मु0रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि किसी भी खातेदार के खातेदारी के रकबे मे कमी--बेशी करने से पूर्व खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है पंरतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया हुआ होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1-1-2017 मे से अपीलांटगण की ग्राम रामपुरा पटवार मण्डल कोटडा स्थित खातेदारी के खसरा नंबरान मे से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का रकबा को गै0मु0रास्ते मे दर्ज करने बाबत जो आदेश पारित किये गये है, उन्हे निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार शिव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटगण की उपस्थिति मे उसके खातेदारी के खेत मे से चल रहे

कदीमी/चालू रास्ते का मौका निरीक्षण कर, उसे सुनकर यदि उसके खातेदारी के खसरा नंबरान मे से रास्ता चालू है तथा आवागमन के उपयोग मे आ रहा है तो उसे बंद किये बिना उसका प्रस्ताव पृथक से बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव को प्रेषित करे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव उसके अनुरूप पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 1–2–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर